पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

लाम्बा भाटड़ा

ग्राम पंचायत - लाम्बा भाटड़ा,

तहसील और ब्लॉक - बिछीवाड़ा

जिला - डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

गाँव का इतिहास - लाम्बा भाटड़ा में पहले एक बड़ा खेत था जिसके लम्बाई अधिक थी। जहाँ हमारे पूर्वज बैठ कर चर्चा किया करते थे। इसी खेत पर इस गाँव का नाम लाम्बा भाटड़ा पड़ा। अंग्रेज लोग भी कभी कभी वहां आते थे। उससे पहले गांव में राजा महाराजाओं का आधिपत्य हुआ करता था। पहले यह गाँव चुंडावाड़ा का हिस्सा था लेकिन आबादी अधिक होने के कारण इसे अलग पंचायत बनाया गया जिसमे यह एक ही गाँव है। गांव में कोई भी मंदिर नहीं बना हुआ है और दो धार्मिक स्थल हैं पर अभी मंदिर नहीं बना है। धार्मिक स्थल पर पशु बलि/मुर्गे की बलि देते थे लेकिन अब बलि प्रथा लगभग बंद है। वर्तमान में नारियल और धूप-बत्ती आदि से पूजा करते हैं।

गाँव का परिचय - बिछीवाड़ा ब्लाक की सबसे बड़ी ग्राम पंचायतों में शामिल लाम्बा भाटड़ा गांव डूंगरपुर जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में बसा हुआ है। गांव पहाड़ियों के बीच है इसमें कुल 11 फले हैं जो निम्नानुसार है -

1. लाम्बा भाटडा
2. मनात फला
3. कोटेड फला
4. मेनात फला
5. दरिया फला
6. बुसी फला
7. कोपडा फला
8. मोडिया फला
9. असोडा फला
10. भगोरा फला
11. लम्बादरा फला

लांबा भाटड़ा ग्राम पंचायत का अकेला गांव है। गांव में कुल घरों की संख्या करीब 1,000 और आबादी करीब 5,000 है। गांव में आदिवासी परिवार ही बसते हैं जिनमें कोटेड, मनात, असोड़ा, ननोमा, भेनिया, बरंडा, मौलात, भगोरा, डामोर और कलासुआ आदि उपजातियां शामिल है। गांव के करीब आधे घरों में बिजली की सुविधा नहीं है। जिनके पास बिजली के कनेक्शन है वह लोग भी बिजली विभाग की मनमानी के कारण परेशान है। उनके घरों में मनमाने तरीके से बिजली विभाग के कर्मचारी द्वारा बिना मीटर रीडिंग किए 1000 रु. से 5000रु. तक बिल हर महीने भेज देते हैं। गांव की जमीन पहाड़ी ढलान और असमतल, पथरीली है। पहाड़ियों की घाटी में कुछ समतल जमीन भी है जिसमें धान और गेहूं पैदा किया जाता है जो कम ही लोगों के पास है। ज्यादातर लोगों के पास पहाड़ों की ढलान, असमतल और पथरीली कृषि की जमीन है जो असिंचित है। उसमें केवल बरसात में होने वाली फसल मक्का, उड़द और अरहर पैदा होती है। कुछ लोग जिनके पास अपने सिंचाई के साधन है वह लोग कपास की खेती भी करते हैं। खेती में उत्पादन बहुत कम होता है। जिनके पास समतल भूमि है उनको 6 से 7 महीने खाने का अनाज पैदा हो जाता है बाकी लोगों को 2 से 4 महीने ही खाने की

व्यवस्था खेती से हो पाती है। सरकारी राशन की दुकान पर भी प्रति व्यक्ति मात्र 5 किलो गेहूं प्रति महीने मिलता है। जिससे उनका गुजारा होना संभव नहीं है। सरकार के तुगलकी फरमान के अनुसार **"जब तक शौचालय सभी लोग नहीं बना लेंगे जब तक राशन की दुकान से मिलने वाला गेहूं बंद कर दिया गया है"**। जिसके कारण (सन 2018 के) पिछले 6 महीने से गेहूं भी मिलना बंद हो गया है। उज्जवला गैस कनेक्शन कुछ लोगों को मिला है और इस कारण मिट्टी का तेल एक वर्ष से पूरे गांव का बंद कर दिया गया है। पूरी रात लोगों को अंधेरे में गुजारनी पड़ती है। शाम को प्रकाश के लिए लोग लकड़ी जलाते हैं। जिनके घर बिजली है वहां कभी कभी रात में बिजली मिल जाती है, लेकिन जिनके घर में बिजली कनेक्शन नहीं है उनके लिए बिना प्रकाश में रहना जानलेवा है। सबसे ज्यादा परेशानी पढ़ने वाले बच्चों को होती है क्योंकि बिना प्रकाश के उनकी पढ़ाई बंद है। बाजार में मिलने वाला सत्तर रुपए लीटर मिट्टी का तेल खरीद पाना उनके लिए संभव नहीं है। गांव में खेती और मनरेगा में मजदूरी के अलावा रोजगार का कोई साधन नहीं है। जिंदा रहने के लिए लोगों को गांव से बाहर रोजगार की तलाश में जाना पड़ता है। गांव में शिक्षा के बेहतर व्यवस्था भी नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए न तो पर्याप्त अध्यापक है न ही बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त कमरे हैं, जिसके कारण ज्यादातर बच्चे अशिक्षित हैं और कम उम्र में ही पढ़ाई छोड़ कर परिवार की परवरिश में लग जाते हैं। गांव के लोग और गरीबी और बदहाली में अपना जीवन गुजार रहे हैं। गांव में अनपढ़ बच्चे और युवा निकट के शहरों और बाजारों में काम की तलाश में सुबह निकलते हैं और शाम तक घर वापस आ जाते हैं। इन बाजारों में उनको रोज काम भी नहीं मिलता महीने में मात्र 15 से 20 दिन ही काम मिल पाता है इसलिए गांव के ज्यादातर युवा अन्य प्रांतों में बेहतर जिंदगी की तलाश में रोजगार करने जाते हैं। वहां उनको 250 से 300 रु. की दैनिक मजदूरी पर 12 घंटे काम करना पड़ता है।

गाँव के रीति-रिवाज एवं त्यौहार - दशहरा, होली, दीवाली, रक्षाबंधन, दशामाता आदि त्यौहार मनाते हैं। होली पर सब एकत्रित होकर नाचते हैं। अपने-अपने घर से गुड नारियल लेकर आते। हैं होली के चारों और घूमते हैं और उसकी प्रसाद चढ़ाते हैं। होली पर ढोल बजाते हैं, नाचते हैं। मकर संक्रांति के दिन दोपहर में मक्का की घुघरी बना कर उसका चढ़ावा देते हैं। छोटी दिवाली (चतुर्दशी) पर भजन करते हैं और उत्सव मनाते हैं। विवाह में लड़की वालों के घर लड़के वाले बारात लेकर जाते हैं, गाँव के लोगो में दहेज़ प्रथा भी प्रचलित है जिसमे लड़की को बर्तन, खाट आदि उपहार दिए जाते हैं। लड़के वाले लड़की के लिए आभूषण लेकर जाते हैं। होली के त्यौहार पर नवविवाहित दूल्हा-दुल्हन होली के चारों तरफ नारियल और पानी लेकर पानी को गिराते हुए नारियल को होली में डालते हैं। हर साल एक खास दिन लोग अपने पूर्वजों की मूर्ति को अपने घर के बाहर या गाँव के देवरे(धार्मिक स्थल) में स्थापित करते है, स्थापना के दिन रात्री जागरण और भोज किया जाता है। अनुष्ठानों और रीति रिवाजों में पूर्वजों को दारु की धार से पूजा करके मनाया जाता है।

आवागमन की स्थिति - लाम्बा भाटड़ा गाँव जाने हेतु पक्की सड़क की सुविधा है। जिसकी स्थिति ठीक है। गांव जाने के लिए डूंगरपुर से बिछीवाड़ा तक बस या जीप मिल जाती हैं, जो बिछिवाड़ा हाई-वे तक छोड़ती है।

लाम्बा भाटड़ा गाँव हाई-वे के उस पार बसा हुआ है। बिछीवाड़ा हाई-वे से चुंडावाड़ा तक जाने वाली जीप और ऑटो मिलती है। जीप और ऑटो के इंतजार में लोगों को घंटों खड़े रहना पड़ता है जब तक सवारिया नहीं भर जाती तब तक ऑटो अथवा जीप नहीं चलती है। चुंडावाड़ा से डूंगरपुर सुबह एक प्राइवेट बस चलती है जो शाम को लौटती है। चुंडावाड़ा गांव से लोग लाम्बा भाटड़ा 5 से 8 किलोमीटर पैदल चलकर अपने अपने घरों को पहुंचते हैं। जिन लोगों के पास अपने निजी साधन है उनको तो सुविधा है लेकिन जिनके पास अपना कोई निजी साधन नहीं है उनको पैदल आने जाने के अलावा और दूसरा कोई उपाय नहीं है। ऊँचे नीचे पहाड़ी रास्ते होने के कारण लोग साइकिल भी नहीं रख सकते क्योंकि ऊंची नीची पहाड़ी रास्तों पर साइकिल चलाना कतई संभव नहीं है।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति - बिछीवाड़ा ब्लॉक/तहसील मुख्यालय के निकट बसे बड़े गांव में शामिल लांबा भाटड़ा गांव में चिकित्सा की सुविधा नहीं है। गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन गिर जाने के बाद दूसरा भवन अभी तक नहीं बना है। जो स्वास्थ्य कर्मी कार्यरत थे उनको स्वास्थ्य विभाग द्वारा दूसरी जगह भेज दिया गया है। गांव से नजदीक उप स्वास्थ्य केंद्र चुंडा वाड़ा में है जो लांबा भाटड़ा के फलों से करीब 5 से 8 किलोमीटर दूर है जिसके कारण किसी को इलाज कराने के लिए 12 किलोमीटर दूर बिछीवाड़ा या 35 किलोमीटर दूर डूंगरपुर तक जाना पड़ता है। गांव पहाड़ियों में बसा है। लोगों के घर पहाड़ियों पर है। वहाँ से मरीजों को पहाड़ियों से झोली अथवा चारपाई में डालकर गांव की सड़क तक लाना पड़ता है। तब कहीं जाकर उनको साधन मिल पाता है। साधन की व्यवस्था भी स्वयं करनी पड़ती है।

गांव में 5 प्राथमिक विद्यालय, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय है। गांव में विद्यालय के नाम पर 8 विद्यालय हैं लेकिन किसी भी विद्यालय में न तो पर्याप्त शिक्षक है और न ही बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त कमरे। गांव के मनात फले में एक प्राथमिक विद्यालय था जिसे छात्रों की कमी बताकर शिक्षा विभाग द्वारा बंद कर दिया गया जबकि उसमें मात्र एक अध्यापक की नियुक्ति की गई थी। वह भी नियमित विद्यालय नहीं आता था। मनात फला के बच्चों को 5 किलोमीटर दूर पैदल चलकर प्राथमिक शिक्षा लेने के लिए जाना पड़ता है। अध्यापकों की कमी और कमरे की कमी के कारण शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है कि बच्चों को अपनी कक्षा स्तर का ज्ञान नहीं है। जिसके कारण उनको आगे पढ़ाई जारी रख पाना संभव नहीं हो पा रहा है। गांव के अधिकांश बच्चे अशिक्षित हैं। स्नातक शिक्षा के लिए बच्चों को 35 किलोमीटर दूर डूंगरपुर आना पड़ता है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वह भी आने जाने के साधन के अभाव और आर्थिक तंगी से आगे की शिक्षा जारी नहीं रख पाते हैं और जीविका की तलाश में यहां वहां भटकते रहते हैं।

गाँव की समस्याओं का विवरण निम्न प्रकार है-

आवागमन की कमी - लाम्बा भाटड़ा गाँव जंगल और पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। पहाड़ी रास्ते उबड़ खाबड़ हैं गाँव के फलों में कच्चे रास्ते या पगडंडी हैं। बरसात में पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। दो पहिया

वाहन चलाने में भी यदि ध्यान नहीं रखा जाए तो जरा सी चूक होने पर वाहन गिरने का खतरा रहता है। गाँव के फलों में नीचे के रास्ते पानी और कीचड़ से भर जाते हैं। सबसे ज्यादा असुविधाजनक स्थिति बीमारों को लाने ले जाने में होती है। आवागमन के साधन गाँव के सभी फलों तक नहीं होने से गाँव वालों को लगभग 5-7 किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य सड़क तक बीमारों को लाना पड़ता है तब कहीं जाकर साधन मिलता है। लाम्बा भाटड़ा गांव जाने के लिए डूंगरपुर से बिछीवाड़ा तक बस या जीप से जाते हैं। उसके बाद बिछीवाड़ा से चुंडावाड़ा तक जीप और ऑटो मिलता है। जीप और ऑटो के इंतजार में लोगों को घंटों खड़े रहना पड़ता है जब तक सवारिया नहीं भर जाती तब तक टेम्पों अथवा जीप नहीं चलती है। चुंडावाड़ा से डूंगरपुर सुबह एक प्राइवेट बस चलती है जो शाम को लौटती है से चुंडावाड़ा लाम्बा भाटड़ा गांव तक पैदल पैदल ही जाना पड़ता है। ऊँचे नीचे पहाड़ी रास्ते होने के कारण लोग साइकिल भी नहीं रख सकते क्योंकि ऊंची नीची पहाड़ी रास्तों पर साइकिल चलाना कतई संभव नहीं है।

भूमि एवं जल प्रबंधन की कमी - गांव में पहाड़ियों की भरमार है। पहाड़िया ज्यादा होने से भूमि असमतल, पथरीली और पहाड़ों की ढलान वाली है। समतल जमीन केवल पहाड़ी की तलहटी में ही है। गांव में जंगल भी है लेकिन जंगल वन विभाग के कब्जे में है। एक समय जंगल से मिलने वाले लघु वनोपज से गांव की जरूरतें पूरी होती रहती थी। जंगल की सुरक्षा और संरक्षण गांव वाले मिलकर करते थे लेकिन जब से जंगल वन विभाग के अधिकार में आया है तब से धीरे-धीरे जंगल उजड़ चुका है। वहां से गांव वालों को मात्र घास के अलावा कुछ नहीं मिलता है। गांव के लोग जंगल को अपना मान भी नहीं रहे हैं। इसलिए उसके बारे में सोचते भी नहीं है। गांव की कुछ पहाड़ियों पर लोगों का कब्जा है लेकिन लोगों द्वारा पहाड़ियों पर किसी भी प्रकार का वृक्षारोपण नहीं होता है। उसमें केवल बरसात के समय जो घास उगती है उसी को जानवरों पर जाने के चारे के रूप में काट कर लाते हैं। उनकी खेती की जमीन असमतल और असिंचित होने के कारण प्रकृति के भरोसे है।

बिछीवाड़ा ब्लाक के गांव में भूजल स्तर इतना नीचे चला गया है कि पूरे ब्लॉक को डार्क जोन घोषित कर दिया गया है। लांबा भाटड़ा गांव का भूजल स्तर इस समय 250 से 300 फीट से नीचे तक चला गया है। गर्मियों में गांव के अधिकतर कुएं सूख जाते हैं और हैंडपंप से भी पानी नहीं आता है। पानी के बढ़ते संकट के कारण लोग बोरवेल लगाते जा रहे हैं जिसके कारण जल स्तर तेजी से नीचे गिरता जा रहा है। गांव में पहाड़िया अधिक होने से नाले भी है लेकिन नालों में पानी रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है और नालों में आने वाला बरसात का सारा पानी बहकर निकल जाता है। गांव के सभी हैंडपंप में फ्लोराइड और आयरन युक्त पानी आता है जिससे लोगों को फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। सिंचाई के लिए लोगों के पास निजी बोरवेल के अलावा अन्य कोई साधन नहीं है।

कृषि एवं रोजगार की स्थिति - गाँव में कृषि योग्य भूमि बहुत ही कम है। जिस भूमि पर कृषि की जाती है वह ज्यादातर पहाड़ों की ढलान और पथरीली है। समतल भूमि मात्र पहाड़ियों की तलहटी में है। जिनके पास समतल

भूमि और सिंचाई का साधन है वही लोग धान और गेहूं पैदा कर पाते हैं बाकी लोग बरसात में होने वाली फसल मक्का, उड़द, अरहर आदि पैदा करते हैं। जिनके पास सिंचाई की व्यवस्था है वह कपास की खेती भी करते हैं। खेती से लोगों के पास 3 से 6 महीने का खाने भर का अनाज होता है। बाकी समय उनको खरीद कर ही खाना पड़ता है। सरकारी राशन की दुकान से प्रति व्यक्ति प्रति माह मात्र 5 किलोग्राम गेहूं मिलता है जिससे उनके परिवार की परवरिश संभव नहीं हो पाती है।

गांव में कृषि के अलावा मनरेगा में मजदूरी ही एकमात्र रोजगार का साधन है। मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण लोगों का न तो 100 दिन रोजगार मिल पाता है और न ही उनको पूरी मजदूरी ही मिल पाती है। मनरेगा में पूरे वर्ष मात्र 50 से 60 दिन काम मिलता है और मजदूरी मात्र 70 से 80 रु. रोज ही मिलती है। मनरेगा में काम और मजदूरी नहीं मिलने के कारण गांव के लोग घरों से बाजारों और कस्बों में रोजगार की तलाश में सुबह जाते हैं और शाम को घर लौटते हैं वहां भी लोगों को महीने में मैं मात्र 15 से 20 दिन ही काम मिल पाता है और मजदूरी भी 150 से 200 रुपए ही मिलती है। गांव और निकट के कस्बों और बाजारों में कोई काम नहीं मिलने के कारण लोग दूसरे प्रांतों में काम की तलाश में जाते हैं और वहां उनको 12 घंटे की मजदूरी करनी पड़ती है 250 से 300 रुपए रोज ही मिलते हैं। शिक्षा के अभाव में दैनिक मजदूरी के अलावा अन्य कोई काम उनको नहीं मिलता है।

पशुपालन हेतु चारे व चारागाह की कमी - गांव के लोग गाय, बैल, भैंस और बकरी पालते हैं जो देसी नस्ल के हैं। एक तो गाँव की खेती की जमीन कम होने से और दूसरा चरागाह पर लोगों का कब्जा होने से पशुओं का चारा फरवरी तक खत्म हो जाता है उसके बाद चारा खरीद कर खिलाना पड़ता है। इसलिए पशुओं को कम ही लोग पालते हैं। ज्यादातर लोगों के पास खेती कम होने से एक बैल पालते हैं। दो लोग आपस में मिलकर बारी बारी से अपने अपने खेतों की जुताई कर लेते हैं। पहाड़ी की ढलान वाली खेती होने के कारण ट्रैक्टर से जुताई संभव नहीं हो पाती है। इसलिए मजबूरी में बैल पालन करना पड़ता है। अन्यथा उनकी खेती ही संभव नहीं है। चारे की कमी के कारण उनके जानवर बहुत कमजोर हैं। गाय और भैंस भी बहुत कम दूध देती है जिससे परिवार की ही जरूरत पूरी होती है। गांव के जंगल पर वन विभाग का कब्जा होने से जंगल में जानवरों को चराने के लिए पशुओं को जंगल विभाग के कर्मचारी जंगल में नहीं जाने देते हैं। अक्टूबर में जंगल में घास काटने के लिए प्रति परिवार से दो लोग ही रोज घास काट सकते हैं। इसके लिए लोगों को 100 रु. प्रतिदिन का एक पास बनवाना पड़ता है। मार्च के बाद गांव के लगभग सभी लोगों के पास पशुओं का चारा समाप्त हो जाता है उसके बाद जुलाई तक बाज़ार से खरीद कर खिलाना पड़ता है।

सरकारी योजनाओं से वंचितों की स्थिति - डूंगरपुर जिला आदिवासी जिला है जो पांचवी अनुसूची में आता है जहां पेसा कानून लागू होने से आदिवासियों के लिए बहुत तरह की सरकारी योजनाएं लागू हैं लेकिन सरकारी संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण लोगों के सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। पेंशन

योजना में अधिकतर लोग पात्र होते हुए भी इससे वंचित हैं क्योंकि सरकारी पहचान पत्रों में उनकी उम्र कम लिखी गई है। उम्र का संशोधन भी होता है यह जानकारी लोगों को नहीं है। यही हाल आवास के संबंध में है। पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण जरूरतमंद लोगों को आवास नहीं मिल पाता है। आवास बनने से पहले आवेदक से 10,000 रु. की रिश्वत की मांग की जाती है। जो लोग नहीं दे पाते हैं उनको आवास नहीं मिलता है। उनको आवास की जरूरत चाहे कितनी भी हो! यही हाल विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन का भी है। श्रमिक कार्ड तो किसी का बना ही नहीं है क्योंकि उनको साल में 100 दिन काम मिलता ही नहीं है। श्रमिक कार्ड उन्हीं का बनता है जिनके जॉब कार्ड पर 100 दिन का काम दर्ज हो।

गाँव में उपलब्ध संसाधन, उनकी हालत और संभावनाएं -

क्र	संसाधन	संसाधनो की स्थिती	संभावनाएं
1	**जल -** कुँए नाले ट्यूबवेल हैंडपंप	गाँव में करीब 100 कुँए है लेकिन अब लगभग सभी कुएं सूखे पड़े हैं और उनमें से कोई कुंआ काम नहीं आ रहा है। गांव के करीब 400 घरों में निजी बोरवेल है। गाँव में निम्नलिखित नाले हैं मगर मात्र बरसात में इन नालों में पानी रहता है। बरसात के बाद गर्मी आते आते गाँव के नाले सूख जाते है- 1. नान का नाला 2. कोटेडवाला नाला 3. स्कूल के पासवाला नाला 4. बिल्ली वाला नाला 5. कूड़ा वाला नाला 6. पानी वाला धरा का नाला 7. चूल्हे वाला नाला 8. नाल वाला नाला 9. हाथोड़ वाला नाला 10. धावड़ी वाला नाला 11. जंदी वाला नाला 12. खेड़ाजी वाला नाला 13. बूसी दरी का नाला 14. वनावाव वाला नाला 15. राम बाबजी वाला नाला 16. खेड़ा स्कूल के नीचे वाला नाला	गाँव के नाले पर एनिकट बन जाये तो पानी रुक सकता है और आस-पास के लोगों के काम आ सकता है। ये पानी भू जल स्तर को भी बढ़ा सकता है। कुँए गहरे कर दिए जाएं और उनकी मरम्मत कर दी जाए तो सिंचाई और पीने के पानी की सुविधा हो जाएगी। चेक डैम बनवाना। सार्वजनिक कुएं की मरम्मत और गहरीकरण। नए तालाब निर्माण।

		17. मनात फला वाला नाला 18. ईजड़े वाला नाला 19. माल वाला नाला	
2	**जंगल**	जंगल पर कब्ज़ा वन विभाग का है। जंगल में अधिकतर झाड़ियाँ, बबूल के पेड़, तेंदुपत्ते(टीमरू), सीताफल, महुआ, अचरु, आम, धोवड़ा और सागौन के पेड़ हैं। नवम्बर 2018 में गाँव सभा ने जंगल पर सामुदायिक दावा पत्र तैयार कर लिया है।	जंगल पर सामुदायिक दावा करके जंगल को गांव सभा के अधीन करना और उसे पुनर्जीवित करना।
3	**जमीन**	लाम्बा भाटड़ा गाँव में ज्यादतर जमीन जो लोगों के खातेदारी में थी 1985 में जंगल की जमीन में दर्ज कर ली गयी है। इस समय गाँव के लोग जंगल की जमीन से वापस अपने खातेदारी हक के लिए मुकदमा लड़ रहे हैं। जमीन पहाड़ों की ढलान वाली, पथरीली एवं उबड़-खाबड़ है। बरसात में होने वाली फसल ही पैदा कर पाते हैं। सूखा पड़ने पर वह भी नहीं हो पाती है। कुछ लोग अपने घरों की जमीन पर कुछ फलदार पेड़ जैसे आम, महूआ, नींबू और जलाने और इमारती लकड़ी के पेड़ भी लगाते हैं जो उनके व्यक्तिगत काम में ही आती हैं।	खातेदारी की जमीन जो जंगल विभाग में दर्ज कर ली गयी हैं उसे वापस लेना तथा जंगल पर सामुदायिक दावा करके गाँव सभा के अधीन करना।

गाँव सभा द्वारा चिन्हित समस्याएं, उनके कारण, प्रस्तावित समाधान -

क्र.सं.	समस्याएं	सार्वजनिक/ व्यक्तिगत	कारण	समाधान	तात्कालिक/ दीर्घकालिक
1	**रास्ते की समस्या**	**सार्वजनिक**	गांव बहुत बड़ा होने के कारण लोगों को एक फले से दूसरे फले में जाने और अपने घर पर जाने के लिए रास्ते ठीक नहीं है। गांव की पक्की सड़क टूट फूट गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई	गांव सभा के गठन के बाद से लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। लोगों ने गांव सभा की बैठक करके रास्ते निर्माण के लिए प्रस्ताव लिए हैं और उसे पंचायत में जमा भी करवाया है। उसके	**तात्कालिक**

			गई सड़कों का मानकों के अनुसार काम नहीं कराया गया है। पंचायत द्वारा गांव के जो रास्ते(सी.सी. सड़क और कच्चे रास्ते) बने हैं वह भी पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। लोगों को अपने घरों तक जाने के लिए पगडंडी ही है। वहां तक चार पहिया वाहन पहुंच पाना मुश्किल है। कभी-कभी आपसी विवाद और रास्ते के लिए जमीन नहीं देना भी रास्तों के निर्माण में बाधा का कारण बनता है लेकिन सबसे ज्यादा समस्या रास्ते के लिए लोक निर्माण विभाग और पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार और उनका पक्षपातपूर्ण रवैया ही है।	निर्माण के लिए आगे पैरवी की योजना भी बनाई है।	
2	**शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होना**	**सार्वजनिक**	लाम्बा भाटड़ा गांव में कुल 8 विद्यालय हैं जिसमें 5 प्राथमिक विद्यालय, 2 उच्च प्राथमिक विद्यालय और एक उच्च माध्यमिक विद्यालय है। लेकिन अध्यापकों की और कमरों की कमी के कारण बच्चों की शिक्षा बर्बाद हो रही है। बच्चों की कमी दिखाकर विद्यालय बंद करना शिक्षा विभाग द्वारा एक सामान्य बात हो गई है जिसके कारण छोटे-छोटे बच्चों को पांच-छ: किलोमीटर दूर जाकर के शिक्षा लेनी पड़ रही है।	प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति और बच्चों के बिठाने के लिए कमरों का निर्माण किया जाए। विद्यालयों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाए। गांव सभा मजबूत हो। शिक्षा के प्रति गांव के लोगों में जागरूकता हो।	**तात्कालिक**

			शिक्षकों की कमी के कारण स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि प्राथमिक स्कूल के अधिकतर बच्चों को अक्षर ज्ञान तक नहीं है। स्नातक की शिक्षा लेने के लिए बच्चों को 35 किलोमीटर दूर डूंगरपुर जाना पड़ता है। जिन लोगों की स्थिति कुछ ठीक है उनके बच्चे डूंगरपुर में रहकर पढ़ते हैं। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उनके बच्चे चाह कर भी उच्च शिक्षा नहीं ले पाते हैं। शिक्षा को बर्बाद करने में सरकार की शिक्षा नीति एक महत्वपूर्ण कारण है।		
3	**कृषि संबधी समस्या**	**व्यक्तिगत / सार्वजनिक**	पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के सामने जो कृषि संबंधी समस्याएं हैं वह सारी समस्या इस गांव में भी है। भूमि का असमतल होना, पहाड़ों की ढलान और पथरीली होना। कृषि भूमि पर सिंचाई का सर्वथा अभाव। उन्नतशील बीज और खाद की कमी। आधुनिक खेती के ज्ञान का सर्वथा अभाव। कृषि विभाग की उपेक्षा। लगातार भूजल स्तर का नीचे जाना। जल संरक्षण की कोई योजना ना होना।	गांव के खेतों का समतलीकरण। खेतों की मेड़ बंदी। खेत तलावडी का निर्माण। चेक डैम का निर्माण। उन्नतशील खाद और बीजों की उपलब्धता। सिंचाई की व्यवस्था। भूजल स्तर को ऊंचा करने के लिए जल संरक्षण की योजना। कृषि विभाग द्वारा समय समय पर किसानों की मदद करना। भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार फसलों के चयन की जानकारी।	**तात्कालिक**

			भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार फसलों के चयन की अज्ञानता। उपर लिखे कारणों के चलते वर्ष पर का भोजन खेती से जुटा पाना लोगों के लिए संभव नहीं हो पा रहा है।		
4	**आवास निर्माण, पेंशन और उसके भुगतान संबधी समस्या**	**व्यक्तिगत**	गाँव के लोगों ने योजना के तहत आवास बनवाये हैं पर उनके भुगतान संबधी समस्या है। साथ ही पंचायत द्वारा जो आवास का आवंटन होता है उसमें पंचायत पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाती है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति दस हजार रु. की मांग भी की जाती थी। जो अब गाँव सभा बनने का बाद अंकुश में है फिर भी कुछ लोग आवास से वंचित हैं।	गाँव के सबसे जरूरतमंद लोगों को आवास निर्माण हेतु आवेदन कराना और उसके लिए प्रयास करना। बकाया राशि का भुगतान तुरंत करना। जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है उनको पेंशन योजना से जोड़ना। बंद पेन्शन का भुगतान तुरंत शुरू करवाना।	**तात्कालिक**
5	**काबिज भूमि पर खातेदारी का हक नहीं मिलना**	**सार्वजनिक**	आदिवासियों को उनके भूमि अधिकारों को न देना पूरे देश में एक समस्या है। उसी समस्या से लाम्बा भाटड़ा गांव के लोग भी जूझ रहे हैं। पहले राजस्व विभाग लोगों को उनकी जमीन के पट्टे 3 साल तक लगातार जारी करता था। जिससे लोग धारा 91 के तहत अपनी जमीन के नियमन का दावा करके जमीन की खातेदारी का पा जाते थे। लेकिन अब सरकार ने बड़ी चालाकी से किसी जमीन का पट्टा लगातार 3	गांव सभा के गठन के बाद गांव सभा की बैठक में काबिज भूमि की हकदारी के लिए निर्णय लिया गया है कि गांव सभा सामूहिक रूप से सभी लोगों की जमीन के कागजात तैयार करके राजस्व विभाग में दावा करेगी और धारा 91 के तहत नियमन का दावा भी गांव सभा द्वारा किया जाएगा। इसके लिए गांव सभा ने गांव के कुछ लोगों को जिम्मेदारी भी सौंपी है।	**दीर्घकालिक**

			वर्ष तक काबिज भू मालिकों को नहीं दे रही है उनके जमीन के पट्टों को हर वर्ष दूसरे के नाम से जारी किया जा रहा है जबकि उस जमीन पर सैकड़ों वर्षो से वह काबिज है। 3 साल तक अपनी जमीन के पट्टे उनके नाम नहीं होने से वह नियमन नहीं करा पा रहे हैं। साथ ही साथ बड़ी चालाकी से राजस्व विभाग में पेनल्टी लेना बंद कर दिया है पेनल्टी नहीं भरने से उनके पट्टे स्वत: समाप्त होते जा रहे हैं। जमीन भले ही उनके कब्जे में है लेकिन वह हकदार नहीं रहे! यह सब आदिवासियों की अज्ञानता के कारण हो रहा है और सरकार इसका पूरा फायदा उठा रही है। आगे चलकर उनकी अकूत संपदा को हथियाने की पूरी पूरी योजना सरकार बना चुकी है		
6	**जल की समस्या**	**सार्वजनिक**	गांव में बरसात के बाद धीरे-धीरे जल संकट बढ़ता जाता है। वह पीने के पानी का हो अथवा सिंचाई का। लगातार गिरता भूजल स्तर, बरसात के पानी को संरक्षित करने की योजना न होना, बोरवेल की संख्या बढ़ना और उससे लगातार पानी का दोहन इस जल संकट को दिन दूना रात चौगुना बढ़ा रहा है। गिरते	बरसात के पानी को रोकने के लिए सिंचाई विभाग, जलदाय विभाग और जल संरक्षण विभाग आदि को मिलकर योजना तैयार करना और योजना को लागू करना। जिससे गांव में पानी के संकट को दूर किया जा सके। शुद्ध पीने के पानी के लिए आर. ओ. (रिवर्स ऑस्मोसिस) वाटर प्यूरीफायर प्लांट लगाना तथा	**तात्कालिक**

			भूजल स्तर के कारण पानी में फ्लोराइड और आयरन की मात्रा भी लगातार बढ़ रही है गर्मी में पीने के पानी के लिए लोगों को दूर-दूर से सफर करके लाना पड़ता है और हैंडपंप सूख जाते हैं बोरवेल में पानी ईतना कम हो जाता है कि किसी तरह गर्मी में पानी की व्यवस्था हो पाती है।	बरसात के पानी को संरक्षित करके पीने लायक तैयार करना।	
7	**जंगल का सामुदायिक दावा अधिकार पत्र नहीं मिलना**	**सार्वजनिक**	गांव का जंगल सरकार के वन विभाग के कब्जे में होने के कारण गांव के लोग जंगल से मिलने वाले उत्पाद से पूरी तरह से वंचित हैं। वन विभाग की लापरवाही से जंगल बर्बाद होता जा रहा है। उनका सामुदायिक दावा गांवसभा द्वारा पेश नहीं किया गया है।	वन का सामुदायिक दावा पेश करके जंगल को गांव सभा के अधीन करना। एक तो जंगल को पुनर्जीवित करके तथा दूसरा लघु वन उपज प्राप्त करके आय बढ़ाना। जंगल से लाभ लेना।	

संसाधन आंकलन व S.W.O.T विश्लेषण

S- Strengths **शक्तियां**	**W- Weakness** **कमजोरी**	**O- Opportunities** **अवसर**	**T- Threats** **चुनौतियां**
आवागमन			
सड़क, कच्चे रास्ते	गांव में जाने के लिए पक्की सड़क है लेकिन उस पर कोई साधन नहीं चलता है। कहीं आने जाने के लिए 5 किलोमीटर दूर चुंडावाड़ा पैदल जाना पड़ता है। गांव के एक कोने से दूसरे कोने में जाने के	गांव तक आने जाने के लिए साधन चलने से लोगों को समय की बचत और छोटे मोटे व्यवसाय के लिए अवसर मिलेंगे। मरीजों को अस्पताल ले जाने और लाने की सुविधा होगी। बच्चों और बड़ों को आने-जाने में सुविधा होगी।	पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकना। गांव सभा को मजबूत करना। आपसी विवाद को निपटाना।

	लिए सभी रास्तों को चौड़ा नहीं करना। सी.सी. रोड नहीं बनाना। पगडंडियों को चौड़ा नहीं करना। रास्ते सम्बन्धित विवाद।		
जल -			
नाले तालाब कुआ, हैण्ड पम्प, बोरवेल	नाले पर योजनाबद्ध तरीके से एनिकट निर्माण ना होना। तालाब की मरम्मत और गहरीकरण के प्रति पंचायत की उदासीनता। नए तालाब निर्माण की कोई योजना ना होना। जल संरक्षण के प्रति गांव के लोगों की उदासीनता। बोरवेल की अधिकता और उससे पानी का अधिकतम दोहन करना। लगातार नीचे गिरता भूजल स्तर।	जल संरक्षण की बेहतर योजना से भूजल स्तर ऊपर आने से बेहतर सिंचाई की व्यवस्था से खेती में उत्पादन की बढ़ोतरी। गांव में सिंचाई की व्यवस्था। सिंचाई की बेहतर व्यवस्था होने से चरागाह में चारे की व्यवस्था से पशुपालन। सब्जी की खेती बागवानी की सुविधा। शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था।	गांव सभा को मजबूत करना। उपलब्ध जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन। नए जल स्रोत का निर्माण। जल संरक्षण योजनाओं की जानकारी। उसके लिए प्रयास करना। पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकना।
आजीविका संवर्धन			
आजीविका संवर्धन जमीन जंगल पहाड़ पशुपालन मछली पालन सब्जी की खेती	जमीन का पहाड़ी ढलान, ऊंची नीची होना। पथरीला और उबड़ खाबड़, असमतल होना। जंगल का वन विभाग के कब्जे में होना। चरागाह पर अवैध कब्जा। उन्नतशील नस्ल के पशुओं का अभाव। सिंचाई की व्यवस्था न	कृषि योग्य जमीन का समतलीकरण। उन्नतशील खाद और बीज तथा बेहतर सिंचाई की व्यवस्था से कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी। जंगल को गांव सभा के अधीन करके लघु वनोपज लेना। गौण खनिज निकालना नए जल स्रोत का	सभी गांव वासियों को पेसा कानून की जानकारी देकर मजबूत गांव सभा तैयार करना। सामुदायिक वन अधिकार दावा पत्र प्राप्त करना। सरकारी विभागों और पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार रोकना।

	होना। जल संरक्षण के प्रति उदासीनता। उन्नत बीज और खाद की अनुपलब्धता।	निर्माण और पुराने की मरम्मत। सब्जी की खेती और पशुपालन।	
भूमि			
वन(लघु वन उपज) - चारागाह - गौण खनिज - कृषि भूमि - कुए की उपलब्धता गाँव में नाले और तालाब की उपलब्धता -	वन पर वन विभाग का कब्जा, वन के समुचित प्रबंधन का अभाव, चारागाह पर अवैध कब्ज़ा, कृषि भूमि पथरीली और उबड़ खाबड़ है। उन्नतशील बीज का आभाव। सिंचाई के साधनों का आभाव।	जलवायु के अनुकूल फलदार और इमारती लकडियों के वृक्ष लगाकर लघु वन उपज का उत्पादन किया जा सकता है। सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करके और खेतों का समतलीकरण करके और उन्नतशील बीज और कम्पोस्ट खाद का उपयोग करके कृषि उपज बढाई जा सकती है। गाँव में पशुपालन के लिए चारागाह की जमीन पर चारे की व्यवस्था और उन्नतशील नस्ल के दुधारू जानवरों भेड़, बकरी और मुर्गी पालन करके। सब्जी की खेती करके।	वन पर वन विभाग का कब्जा, चारागाह पर अवैध कब्ज़ा हटाने में परेशानी। उबड़ खाबड़ कृषि भूमि पथरीली होने से समतल करने में आर्थिक आभाव। आर्थिक आभाव के कारण उन्नतशील बीजो की अनउपलब्धता। आर्थिक आभाव के कारण सिंचाई के साधनों की समुचित व्यवस्था नहीं कर पाना। जंगल को गाँव सभा के अधीन कर इसे पुनर्जीवित करना।

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव का नजरिया नक्शा - (लाम्बा भाटड़ा)

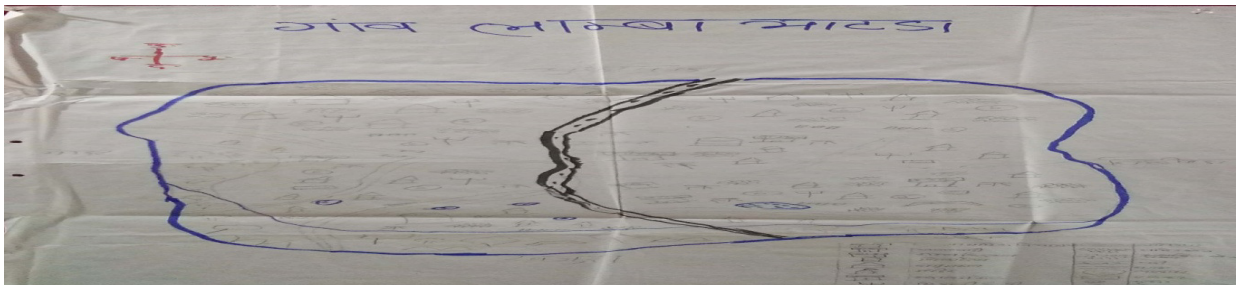

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण -

क्र. सं.	प्रस्तावित कार्य	संख्या
1	पेंशन के संबंध में	
	वृद्धा पेंशन	20
	विधवा पेंशन	7
2	**1. राजकीय प्राथमिक विद्यालय दरीया पाड़ा** स्कूल का परकोटा निर्माण चार कमरों की मरम्मत शौचालय निर्माण **2. राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोटेड फला प्रथम** परकोटा निर्माण और दो कमरों की मरम्मत **3. राजकीय प्राथमिक विद्यालय आसोडा फला स्कूल का** परकोटा और अपूर्ण कार्य को पूरा करना खेल मैदान का समतलीकरण **4. राजकीय प्राथमिक विद्यालय मनात फला** बंद स्कूल को चालू करना	4
3	प्रधानमंत्री आवास निर्माण	81
4	शौचालय निर्माण की बकाया किस्त भुगतान	22
5	सामुदायिक भवन निर्माण	1
6	राशन की दुकान खोलने के संबंध में	1
7	स्वास्थ्य केंद्र खोलने के संबंध में पुराने भवन को खंडहर करके नया निर्माण	1
8	पशु चिकित्सालय के संबंध में	1
9	हैंडपंप नया लगाने के संबंध में	10
	हैंडपंप मरम्मत के संबंध में	3
10	चेक डैम निर्माण के संबंध में 1. कबड़ा वाला नाले में चेक डैम कच्चे/पक्के 2. गोलकी महोदय के पास पक्का चेकडैम 3. दांतला से पांच महूड़ी नाले में चेकडैम (कच्चे-पक्के) 4. नाकी नाल और बड़ी नली में कच्चे पक्के चेक डेम 5. दांतला से बेड़ा तक नाले में पक्के चेक डैम	6

	6. लक्ष्मण भगोरा के घर से सोहन भगोरा के दरा में चेक डैम	
11	एनीकट निर्माण मरम्मत के संबंध में 1. हाथोड़ के पास दरिया पाड़ा 2. हाजा धर्मा के घर के नीचे सुलेखा नाले में 3. शांति लाल अरजी के घर के पीछे 4. देवा कावा के घर के आगे 5. लाहड़ा पाटा के पास	5
12	सार्वजनिक कुएं की मरम्मत और गहरीकरण 1. भोजाल वाली बावड़ी व धूला थावरा के घर के नीचे 2. लक्ष्मण मंगला भगोरा के घर के पास बावड़ी मरम्मत	2
13	केटेगरी 4 के कार्य खेत समतलीकरण पशु बाड़ा निर्माण खेत तलावडी निर्माण गहरीकरण मरम्मत और मेड बंदी के संबंध में	26
14	सड़क निर्माण	
	डामर सड़क	1
	सी.सी. सड़क निर्माण के संबंध में -	3
	कच्चा (ग्रेवल)रास्ता -	3
15	श्मशान घाट निर्माण लकड़ी रखने के लिए भवन निर्माण	1
16	वृक्षारोपण	1
17	सामुदायिक वन दावा गांव सभा द्वारा कराने के संबंध में	1
18	गांव के आपसी विवाद को गांव सभा में निपटाने के संबंध में	1
19	जंगल में बांध या एनीकट निर्माण तिदा/डूंगरा में बुआ में बांध निर्माण हादोड़ के पास वाले नाले में एनीकट निर्माण	1
20	सामाजिक कुरीतियों के संबंध में - डायन प्रथा पर रोक मौताणा प्रथा पर रोक बाल विवाह पर रोक बाल श्रम पर रोक	1

गाँव विकास नियोजन प्रक्रिया - फोटो गैलेरी

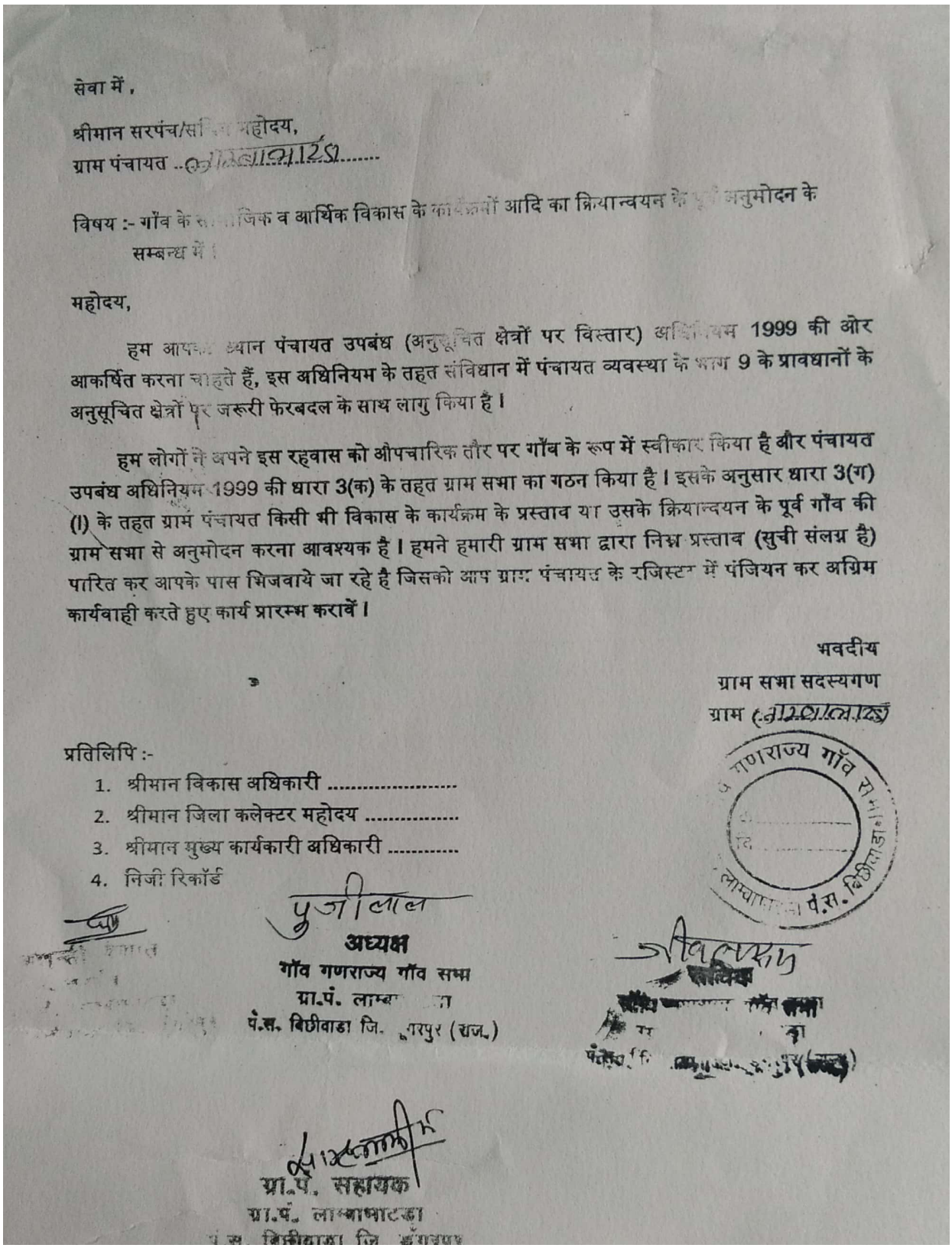

सेवा में ,

श्रीमान सरपंच/स... महोदय,
ग्राम पंचायत ..लाम्बाभाटडा.......

विषय :- गाँव के ... जिक व आर्थिक विकास के का... आदि का क्रियान्वयन के ... अनुमोदन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

हम आप... ध्यान पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1999 की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, इस अधिनियम के तहत संविधान में पंचायत व्यवस्था के भाग 9 के प्रावधानों के अनुसूचित क्षेत्रों पर जरूरी फेरबदल के साथ लागु किया है ।

हम लोगों ने अपने इस रहवास को औपचारिक तौर पर गाँव के रूप में स्वीकार किया है और पंचायत उपबंध अधिनियम 1999 की धारा 3(क) के तहत ग्राम सभा का गठन किया है । इसके अनुसार धारा 3(ग) (I) के तहत ग्राम पंचायत किसी भी विकास के कार्यक्रम के प्रस्ताव या उसके क्रियान्वयन के पूर्व गाँव की ग्राम सभा से अनुमोदन करना आवश्यक है । हमने हमारी ग्राम सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (सुची संलग्न है) पारित कर आपके पास भिजवाये जा रहे है जिसको आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर में पंजियन कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए कार्य प्रारम्भ करावें ।

भवदीय
ग्राम सभा सदस्यगण
ग्राम (लाम्बाभाटडा)

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान विकास अधिकारी ....
2. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ....
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी ....
4. निजी रिकॉर्ड

पुंजीलाल
अध्यक्ष
गाँव गणराज्य गाँव सभा
ग्रा.पं. लाम्बा...
पं.स. बिछीवाडा जि. ...रपुर (राज.)

ग्रा.पं. सहायक
ग्रा.पं. लाम्बाभाटडा

प्रस्ताव कवरिंग

पेसा कानून 1996, राजस्थान सरकार अधिनियम 1999
नीयम 2011 के अंतर्गत आज दिनांक 22-8-18 को लाम्बाखाड़ा
गांव की गांव सभा रा.प्रा.वि. मनातफला आयोजित कि गई।
गांव सभा बैठक मे उपस्थित गांव वासियों ने श्री पुत्रीलाल
खाबरा मनात को अध्यक्ष चुना, जिनकी अध्यक्षता मे बैठक की
कार्यवाही की गई। गांव सभा बैठक मे निम्नलिखित
प्रस्तावो पर चर्चा की गई और उनका अनुमोदन किया
गया।

एजेण्डा
1 पेंशन के सम्बंधित
2 स्कूल के सम्बन्ध मे
3 p.m/c.m आवास के सम्बन्ध में
4 शौचालय के सम्बन्ध मे
5 आंगनवाडी के सम्बन्ध मे
6 राशन दूकान सम्बन्ध मे
7 उप स्वास्थ्य केन्द्र के सम्बन्ध में
8 पशु चिकित्सालय के सम्बन्ध मे
9 नये हेण्डपम्प लगाने और पुराने की मरम्मत के सम्बन्ध मे
10 चैकडेम निर्माण (कच्चे / पक्के) के सम्बन्ध मे
11 एनिकट निर्माण / मरम्मत के सम्बन्ध मे
12. सार्वजनिक कुए के निर्माण के सम्बन्ध मे
13 खेत समतलीकरण / पुशुबाडा निर्माण / मेडबंदी / कुआ गहरीकरण के सम्बन्ध मे (केटेगरी 4 के काम)
14 रास्ता निर्माण के सम्बन्ध में
15 श्मशान घाट मे लकडीयों को रखने के लिए भवन और टिन शेड निर्माण के सम्बन्ध मे
16 वृक्षारोपण के सम्बन्ध में
17 वन पर सामुदायिक दावा सम्बन्ध मे
18 सामाजिक विवाद गांव मे शान्ति समिति द्वारा निपटारा करने के सम्बन्ध मे
19 वन मे बाध एनिकट के सम्बन्ध मे
20 सामाजिक कुरीतियों की रोकथाम, गांव सभा द्वारा के सम्बन्ध में
बाल विवाह, बालश्रम, डायनप्रथा, मौताणा, महिला हिंसा।

गणराज्य गांव सभा ... लाम्बाखाड़ा ...

प्रस्ताव प्रथम पेज

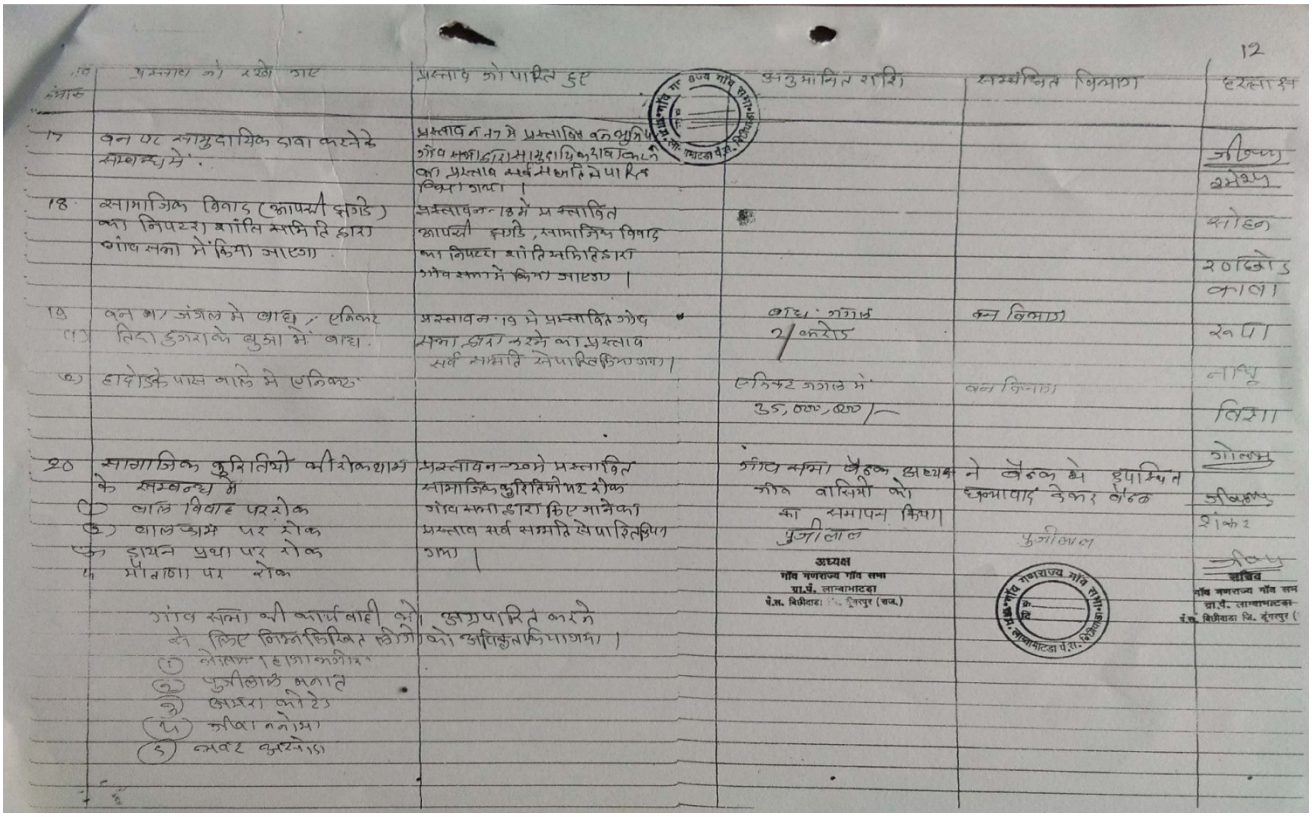

प्रस्ताव अंतिम पेज

विलेज प्लानिंग फेसिलिटेटर टीम (वीपीएफटी) -

क्र.	नाम	फोन न.
1	अमरा कोटेड	8003756319
2	रामा कोटेड	7023490711
3	मंजुला डामोर	9116810652
4	दयाराम	9116810652
5	ईश्वरलाल परमार	8107972229
6	रणछोड़ मनात	7226842776
7	रामलाल मनात	9602330151